न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 12 / 2025

दायर दिनांक : 24 / 02 / 2025

निर्णय दिनांक : 13 / 10 / 2025

उनवान

1 जीतमल पिता वेणीराम जाट निवासी कंवरपुरा तहसील भूपालसागर
2 भुरी बाई पुत्री नाथु गाडरी निवासी चौकडी तहसील भूपालसागर
3 देवा पिता शोराम गाडरी निवासी गाडरीयावास आकोला
4 नारान पिता शोराम गाडरी निवासी गाडरीयावास आकोला
5 डालू पिता माणा गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला
6 नाराण पिता माणा गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला
7 सुखा पिता माणा गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला
8 उॅकारी पुत्री हरिराम गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला
9 हेमराज पिता हरिराम गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला
10 हीरी पुत्री हरिराम गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला
11 किशन पिता भगवानलाल गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला
12 कंकु पुत्री भगवान लाल गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला
13 सोसर पत्नी भगवानलाल गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला
14 केसर पुत्री नाथु गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला
15 किशन पिता भैरूलाल गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला
16 नोसर पत्नी भगवानलाल गाडरी निवासी गाडरियावास आकोला
17 प्रहलाद पिता हीरालाल जाट निवासी गुंदली तहसील भूपालसागर
18 पुरणमल पिता हीरालाल जाट निवासी गाडरियावास आकोला

प्रार्थीगण

बनाम

1 प्रितम सिंह पिता उदयसिंह राणावत निवासी आकोला
2 पप्पू सिंह पिता उदयसिंह राणावत निवासी आकोला
3 माधु पिता जेसिंग पुर्बिया निवासी पुर्बियाखेडा आकोला
4 भैरू पिता जेसिंग पुर्बिया निवासी पुर्बियाखेडा आकोला

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण की तलबी हो चकी है, अप्रार्थी संख्या 1 2 3 4 वाद सूचना उपस्थित नही आने से कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्र्तगत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम** आकोला **प0 ह0** आकोला **तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी के आराजी न0 3451 रकबा 1.47 है0** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो [illegible] से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13 / 10 / 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.16 09:32:59 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर